# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्या: एसटी / एफएस / आई–3(सी) / 2017
सेवा में,

दिनांक: अप्रैल 26 , 2017

महन्त सत्यदेव दास सन्तगामी,
आराजी संख्या–मि0 174, मि0 175, 176, 177, मौजा दौलतपुर,
परगना शिवपुर, वार्ड व थाना सारनाथ,
वाराणसी पिन- 221007

विषय:– महन्त सत्यदेव दास सन्तगामी, आराजी संख्या–मि0 174, मि0 175, 176, 177, मौजा दौलतपुर, परगना शिवपुर, वार्ड व थाना सारनाथ, वाराणसी पिन -221007 पर डेवलपर्स एस0 रहेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0लि0 द्वारा निर्मित ग्रुप हाउसिंग भवन का अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण कर आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ:– आपका पत्र दिनांक: 06.04.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आवासीय ग्रुप हाउसिंग भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा किया गया। प्राप्त उनकी आख्या का सुसंगत मानकों के अनुसार परिशीलन किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:--

1--उक्त आवासीय ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पत्र संख्या: एसटी / एफएस / आई–3(सी) / 2012 दिनांक: 03.10.2012 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

**A. भवन की संरचना:--**

Area statement (for main building 2B + Stilt +14 Storeys)

| | |
|---|---|
| Lower basement (parking) | =2532.0 sqm |
| Upper basement (parking) | =2532.0 sqm |
| Stilt floor(electrical room, party hall, reception, indoorgames, toilet) | =253.16 sqm |
| Stilt floor parking | =819.06 sqm |
| 1st floor | =1052.22 sqm |
| 2nd floor | =1052.22 sqm |
| 3rd floor | =1052.22 sqm |
| 4th floor | =1052.22 sqm |
| 5th floor | =1052.22 sqm |
| 6th floor | =1052.22 sqm |
| 7th floor | =1052.22 sqm |
| 8th floor | =1052.22 sqm |
| 9th floor | =1052.22 sqm |
| 10th floor | =1052.22 sqm |

CFO VNS

—— 2 पर

| | |
|---|---|
| 11th floor | =1052.22 sqm |
| 12th floor | =1052.22 sqm |
| 13th floor | =1052.22 sqm |
| 14th floor | =1052.22 sqm |
| EWS and LIG BLOCK(Stilt plus two storeys) | |
| Stilt floor(parking) | =248.35 sqm |
| First floor | =248.35 sqm |
| Second floor | =248.35 sqm |

**B.** भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:– आवासीय ग्रुप हाउसिंग भवन का अधिभोग एन. बी.सी.–2005 की आवासीय भवन (ए–4) की श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

**C.** ढांचागत व्यवस्था:–

1. पहुँच मार्ग:–उक्त ग्रुप आवासीय भवन मानचित्र के अनुसार पाण्डेयपुर से पंचकोशी मार्ग पर लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर श्री दरिया आश्रम के पास जिसकी चौड़ाई 10.00 मीटर है पर स्थित है।
2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई:– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन में प्रवेश द्वार बनाया गया है।
3. ऊँचाई:– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन 2बी+स्टील्ट+14 तल तक बनया गया है।
4. सेटबैक:– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन के चारो तरफ सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2005 के मानकों के अनुसार है। सेटबैक को हमेशा अवरोध मुक्त रखा जाय। सेटबैक में किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
5. निकास मार्ग:– ग्रुप हाउसिंग भवन में एक स्टेयर केस बनाया गया है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। स्टेयर केस को नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार ट्रीड–0.30 मी0, राइज–0.15 मी0 व चौड़ाई–0.150 मी0 का बनाया गया है, जो मानक के अनुरूप है।
6. रिफ्यूज एरिया का विवरण:– निल

**D.** अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली का विवरण :– नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:–

CEO VNS

1. प्रवेश द्वार:– ग्रुप हाउसिंग भवन में प्रवेश द्वार एन0बी0सी0–2005 पार्ट–III के क्लाज 4.6 के अनुसार 4.5m X 5m का बनाया गया है, जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखना अनिवार्य होगा।
2. सेटबैक:– ग्रुप हाउसिंग भवन का सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 पार्ट III के क्लाज 3.2.3.1 व टेबुल–2 के अनुरुप अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. निकास मार्ग:– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन के 14वें तल से आने वाले स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया गया है और किसी भी दशा में स्टेयर केस को ऊपरी तलों से बेसमेन्ट तक निरन्तरता नहीं होनी चाहिए, भूतल पर चार घंटा रेटिंग का स्मोक चेकडोर आई0एस0 3614(पार्ट–1):1966 के अनुरुप लगाया जाना वांछनीय है।
4. भूमिगत टैंक:– एन.बी.सी.–2005 के मानक के अनुसार 75000 (पचहत्तर हजार) लीटर क्षमता का टैंक बनाया गया है।

—— 3 पर

5. **पम्पः**– एन.बी.सी.–2005 के मानक के अनुसार 2280 एल0पी0एम0 क्षमता का डीजल व इलेक्ट्रिक पम्प तथा 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जाकी पम्प स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
6. **हौजरीलः**– ग्रुप हाउसिंग भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.–3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
7. **वेटराइजर/डाउनकमर सिस्टमः**– ग्रुप हाउसिंग भवन में डाउनकमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है, जो कार्यशील दशा में है।
8. **यार्ड हाइड्रेन्टः**– ग्रुप हाउसिंग भवन एन.बी.सी.–2005 के मानक के अनुसार स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
9. **हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टमः**– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
10. **स्वचालित डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम** :– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम का प्राविधान नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
11. **स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टमः**– ग्रुप हाउसिंग भवन के बेसमेन्ट व लाबी में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
12. **टैरेस टैंकः**– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन के टैरेस पर 10,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित किया गया है।
13. **टैरेस पम्पः**– ग्रुप हाउसिंग भवन के टैरेस टैंक पर टैरेस पम्प एन0बी0सी0–2005 के मानक के अनुसार आवश्यक नहीं है।
14. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)**:– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.–15683:2006 के अनुसार स्थापित कार्यशील दशा में है।
15. **एक्जिट साइनेजः**– उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
16. **पी0ए0 सिस्टमः**– पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का प्राविधान सम्पूर्ण भवन में किया जाना आवश्यक है।
17. ग्रुप हाउसिंग भवन के बेसमेन्ट में एक रैम्प का निर्माण किया गया है, जिसका ढाल 1:8 पर बनाया गया है, जो मानक के अनुरुप है।
18. ग्रुप हाउसिंग भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया गया है।
19. ग्रुप हाउसिंग भवन में विद्युत व्यवस्था आई0एस0 1646:1997 के अनुरुप किया जाय।
20. बेसमेन्ट में प्रकाश एवं संवातन की समुचित व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

**E. निम्न बिन्दुओं का पालन अनिवार्य होगाः–**

1. बेसमेन्ट का प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के पार्ट III के क्लाज

—— 4 पर

12.9 के अनुरुप किया जाना अनिवार्य होगा।

2. अनुमोदित मानचित्र में विचलन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की दशा में निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. फायर सर्विस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निर्गत आदेश पत्र संख्याः एफ0एस0–1076/2012 दिनांकः 5 अक्टूबर, 2012 के अनुरुप कार्यवाही किया जाना वांछनीय होगा।
4. समस्त निर्माण एवं जीवरक्षा प्रणाली तथा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 के अनुरुप की जायेगी।
5. मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्याः 5696 (एम/बी)/2006 गोमती नगर जन कल्याण महासमिति बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 08.09.2006 का पालन आवश्यक होगा।
6. शासनादेश संख्याः 2130–छः–पु0–6–06/06 दिनांकः 19 अक्टूबर 2006 का पालन आवश्यक होगा।
7. सैटबैक, पलायन मार्ग, ट्रेवलिंग डिस्टैन्स इत्यादि में कोई अवरोध न रखा जाय अर्थात सदैव बाधारहित रहना चाहिए।
8. उपरोक्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा प्रणाली के अकार्यशील दशा में होने पर एवं पत्र में वर्णित स्थितियों का पालन न होने पर यह पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार मेसर्स एरा रहेजा इन्फ्रास्ट्रचर प्रा0लि0 द्वारा एस.एम. प्लाट नं0–174 (पार्ट) एण्ड एस.एम. प्लाट नं0–177 (पार्ट), मौजा दौलतपुर, परगना शिवपुर, वार्ड व थाना सारनाथ, वाराणसी पिन–221007 को अग्निशमन सुरक्षा पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि, उक्त ग्रुप हाउसिंग भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 में उल्लेखित्त मानकों के अनुसार प्रत्येक समय उपलब्ध/कार्यशील दशा में रखा जाय तथा अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमाकर, प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराया जाना सुनिश्चित करेगें। निरीक्षण/परीक्षण कराये जाने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वामी/बिल्डर्स/प्रबन्धक की स्वयं की होगी।

**उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जो निर्गत तिथि से एक वर्ष तक के लिये वैध होगा।**

25-6-17

( [illegible] )

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

वाराणसी।

**प्रतिलिपि**:–अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।